उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

सं0 / 2010 / 141(120) / XXVII(8) / 2008

दिनांकः: देहरादूनः: 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I, अनुसूची–II(ख) तथा अनुसूची–III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

अनुसूची–I के क्रमांक संख्या 62 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात–

"हाथ से बुने हुये– ऊनी स्वीटर, ऊनी दन एवं ऊनी गलीचे(कारपेट)।"

अनुसूची–I के क्रमांक 71 की विद्यमान प्रविष्टि के बाद क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ दी जायेगी; अर्थात–

"72. थ्रेशर।

73. लेखन स्याही।"

अनुसूची–II(ख) के क्रमांक 37 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात–

"37. कॉटन, कॉटन वेस्ट एवं टैक्सटाइल वेस्ट।"

अनुसूची–II(ख) के क्रमांक 115 की विद्यमान प्रविष्टि में से शब्द "थ्रेशर" हटा दिया जायेगा।

अनुसूची–II(ख) के क्रमांक 124 की विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

अनुसूची–II(ख) के क्रमांक 140 की विद्यमान प्रविष्टि के बाद क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी; अर्थात–

"141. मिट्टी का तेल।"

अनुसूची–III के क्रमांक 6 की विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

विधि अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देहरादून

D:/New Vigyapti/ BuDGET BHASHAN- 2010

सं0 930 / 2010 / 141(120) / XXVII(8) / 2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियॉं इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियॉं वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3–एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(सी0एस0सेमवाल)